



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082025-265758  
CG-DL-E-28082025-265758

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3824]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2025/भाद्र 5, 1947

No. 3824]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025/BHADRA 5, 1947

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025

का.आ. 3929(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5420 (अ), दिनांकित 13 दिसंबर, 2024 के द्वारा महाराष्ट्र में स्थित रारा-753एल के खंड [मुक्तईनगर - महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश सीमा खंड के किमी 60.500 से किमी 76.000 तक को छोड़कर] को महाराष्ट्र सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पथकर अधिसूचना सं. का. आ. 591(अ), दिनांकित 08.02.2024 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा महाराष्ट्र में रारा-753एल के पाहुर - जामनेर - बोधवाड - मुक्तईनगर - बरहानपुर पैकेज-। के किमी 0+00 से 44+760 और पैकेज-॥ के किमी 44+760 से किमी 60.500 तक 15.74 किमी लंबाई वाले खंड तक पेंड शोल्डर सहित दो लेन के खंड के उपयोग के लिए 60.27 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई और 2.30 किमी (0.230 किमी की कुल लंबाई वाली) [तालिका-3] की समतुल्य कुल संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% दर से नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट

यांत्रिक वाहनों के प्रकार पर फीस उद्गृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
महाराष्ट्र राज्य में जलगांव जिला, तालुका-जामनेर में पाहुर गांव के निकट रारा-753एल के चै. 2.140 (दाईं ओर) और चै. 2.250 (बाईं ओर) पर चरणबद्ध (स्टैगर्ड) पथकर प्लाजा	60.27 किमी [(>60मी) लंबाई की अवसंरचनाओं को छोड़कर]	पेंड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
महाराष्ट्र राज्य में जलगांव जिला, तालुका-जामनेर में पाहुर गांव के निकट रारा-753एल के चै. 2.140 (दाईं ओर) और चै. 2.250 (बाईं ओर) पर चरणबद्ध (स्टैगर्ड) पथकर प्लाजा	0.230 किमी <sup>1</sup>	2.30 किमी	पेंड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^60 मीटर से अधिक लंबाई की अवसंरचनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैः -

क्र. सं.	डिजाइन चैनेज से	डिजाइन चैनेज तक	संरचना का प्रकार	अवसंरचना की लंबाई (किमी में)
1	16.664	16.806	एमजेबी	0.142
2	31.661	31.749	एमजेबी	0.088
			जोड़	0.230

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350 रु. (तीन सौ पचास रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थातः-

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एंजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 308.07 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरओ/एमयूएम/पी-1099/2016-17/टोल/ई-228720]

विनय कुमार, अपर सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2025

**S.O. 3929(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.5420 (E),dated-13<sup>th</sup> Dec-2024 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch of NH No. 753L [excluding Muktinagar – Maharashtra/Madhya Pradesh border section from Km. 60.500 to Km. 76.000] in the state of Maharashtra to the State Government of Maharashtra.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in the supersession of fee notification S.O. No. 591(E) dated 08.02.2024 , the Central Government hereby levies the fee at sixty per cent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 60.27 kilometer [Table-2] and for equivalent structure length (having length more at than 60m) of 2.30 kilometer (having length of 0.230 km, Table-3)] on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of two lane with paved shoulder section of Pahur-Jamner-Bodhwad-Muktinagar-Barhanpur Pkg-I from km.0+00 to 44+760 and 15.74 km of Pkg –II from km.44+760 to 60.500 of National Highway number 753L in the State of Maharashtra and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Staggered Fee Plaza at Ch. 2.140 (RHS) & Ch. 2.250 (LHS) of NH-753 L near Pahur village, Taluka-Jamner in Dist. Jalgaon in the State of Maharashtra	60.27 Km. [Excluding length of structures (>60m)]	60% for use of two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Table 3

Location of Fee Plaza (chain age)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (In km)	Rate at which fee is payable
Staggered Fee Plaza at Ch. 2.140 (RHS) & Ch. 2.250 (LHS) of NH-753L near Pahur village, Taluka-Jamner in Dist. Jalgaon in the State of Maharashtra	0.230 Km <sup>^</sup>	2.30 Km	60% for use of two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

<sup>^</sup>The details of >60 m structure is as under:

Sr. No.	From Design chainage	To Design chainage	Type of Structure	Length of the structure (in km.)
1	16.664	16.806	MJB	0.142
2	31.661	31.749	MJB	0.088
<b>Total</b>				<b>0.230</b>

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 350.00 (Three hundred and fifty Rupees) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

**Table-4**

Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 308.07 Cr. crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RO/MUM/P-1099/2016-17/Toll/E-228720]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.